

संघर्ष

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक- दिनांक- 09/08/2021

:-संघर्षावक ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/ संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संलग्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/ संलग्नक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2019-RIDDHI SIDDHI INSTITUTE OF PHARMACY,4.0 K.M.STONE
MOHANLALGANJ,KANPUR BYPASS ROAD,BHASANDA
PARGANANAGOOHA,MOHANLALGANJ,LUCKNOW-226301

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेमेस्टर विनियमवली-2019 तथा अन्य निर्मित विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों तक हेतु पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों तक पाठ्यक्रमों (दो वर्षों तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश क्षमता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अलावा में समय-समय पर साधन द्वारा निवेश किये जाने वाले सामग्री-वैद्यक प्रशिक्षण, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की वही-वही दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखिल उत्तरों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विचार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित सामग्री-वैद्यक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनये गये विधिनियमों/अतिरिक्त-वैद्यक/सामग्री-वैद्यक/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 30/08/ संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/08/ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/ द्वारा बनये गये निर्णयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

